

20.6.18

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान में अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी में पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रार्थीगण को जारी नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। जो शामिल मिसल हों। विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया। और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।



उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ.) सिणधरी

(लोक अदालत/कोर्ट केम्प-अटल सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत एड सिणधरी)

पीठासीन अधिकारी-श्री अंजुम त्राहिर सम्मा, आर.ए.एस


राजस्व आवेदन संख्या 89/2018

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. वगताराम पुत्र जेहाराम		1. रामाराम पुत्र शेराराम
2. पुनमाराम पुत्र जेहाराम		2. मोतीराम
3. गवरीदेवी पत्नि जेहाराम		3. खुमाराम पिसरान किरताराम
जाति जाट		4. लांसीदेवी पत्नि किरताराम
निवासी एड सिणधरी		5. डाउराम पुत्र मोटाराम
तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर		6. नारणाराम पुत्र मूलाराम
		7. रावताराम पुत्र भीयाराम
		8. श्रीमति जीवोदेवी पत्नि भीयाराम
		9. पेमाराम पुत्र मोटाराम
		10. मांगाराम पुत्र मोटाराम
		11. मूलाराम पुत्र मोतीराम जाति जाट
		निवासी एड सिणधरी तहसील सिणधरी
		12. मैनेजर एस.बी.आई शाखा सिणधरी
		13. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

आदेश

दिनांक-20.6.2018


उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार हैं, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम एड सिणघरी पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणघरी की खेत खसरा संख्या 71 व 160/2 कुल रकबा 85-06 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा ग्राम एड सिणघरी पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणघरी की खेत खसरा संख्या 71 व 160/2 कुल रकबा 85-06 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थीगण के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुए। लेकिन विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


3. वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम एड सिणघरी पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणघरी की खेत खसरा संख्या 71 व 160/2 कुल रकबा 85-06 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थीगण की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं, और प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम एड सिणघरी पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणघरी की खेत खसरा संख्या 71 व 160/2 कुल रकबा 85-06 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावें।

4. हमने वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, सीमाज्ञान फर्द दिनांक 13.4.2018 एवं सलंगन दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम एड सिणघरी पटवार क्षेत्र एड सिणघरी तहसील सिणघरी की खेत खसरा संख्या 71 व 160/2 कुल रकबा 85-06 बीघा के प्रार्थीगण रिकार्डड खातेदार है। जो पत्रावली के


उपखण्ड अधिकारी
सिणघरी

ग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 से प्रमाणित होता है। एवं म्नाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13.4.2018 में भी सीमाओं को लेकर मौके पर विवाद होना का लेख है। इस कारण प्रार्थीगण काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते हैं, विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं हुए हैं, इससे प्रतीत होता है, कि विप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसी सूरत में उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।


5. लिहाजा, प्रार्थीगण का आवेदन राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम एड सिणधरी पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 71 व 160/2 कुल रकबा 85-06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, उक्त कार्यवाही प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।



(अंजुम ताहिर सम्मा)

उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी

आदेश आज दिनांक 20/6/18 को लिखवाया जाकर मजमें आम सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी, सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी